न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीनिधि बी टी, (आई.ए.एस.) जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :– 18/2023 **जीसीएमएस नम्बर 2023/89**

उनवानी प्रकरण :–

विरमजीत पुत्र छत्तरसिंह, जाति गुर्जर, निवासी कचैल पुरा, तहसील बाडी, जिला धौलपुर
---------- प्रार्थी

वनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी, तहसील बाडी, जिला धौलपुर
----------अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 144 जा0दी0

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी की ओर से :– श्री सुरेन्द्र कुमार दुवे एडवोकेट
2– अप्रार्थी की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 07.10.2024**

प्रार्थी ये यह प्रार्थना पत्र इन तथ्यों के साथ पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1586/1789 बांके ग्राम बिजौली तहसील बाडी जिला धौलपुर में रकवा 05 वीधा प्रार्थी के भाई होतमसिंह पुत्र छत्तरसिंह के नाम दिनांक 24.10.1977 को आवंटन किया और आवंटन के मुताविक होतमसिंह को जरिये नामान्तरण संख्या 200 वांके ग्राम बिजौली तहसील बाडी राजस्व अभिलेख में गैरखातेदार काश्तकार दर्ज किया गया।

प्रार्थी के भाई होतमसिंह के हक में हुये आवन्टन आदेश तारीख 24.10.1977 के विरूद्व अप्रार्थी द्वारा दिनांक 09.12.2002 को प्रार्थना पत्र वास्ते आवंटन को निरस्त कराने आवंटन नियम 14(4) न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर के यहाँ उनवानी सरकार बनाम होतमसिंह प्रकरण संख्या 274/2002 प्रस्तुत किया जो दिनांक 27.01.2003 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के भाई के नाम हुये आवंटन तारीखी 24.10.1977 को निरस्त कर दिया और उसकी अनुपालना में आवंटित शुदा आराजी को राजस्व अभिलेख में अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश तारीखी 27.01.2003 की अनुपालना में सिवायचक दर्ज कर दिया।

न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा पारित आदेश तारीखी 27.01.2003 प्रकरण संख्या 274/2002 उनवानी सरकार बनाम होतमसिंह के विरूद्ध अपील प्रार्थी के भाई होतमसिंह के द्वारा न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर में मुकद्दमा संख्या 389/2020 प्रस्तुत की। न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा दिनांक 21.07.2023 को स्वीकार कर न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर का आदेश दिनांक 27.01.2003 निरस्त फरमा दिया और होतमसिंह के हक में हुये आवंटन दिनांक 24.10.1977 को यथावत रखा। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में किसी प्रकार कोई अपील विचाराधीन नहीं है। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा पारित आदेश अंतिम है। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के अपील संख्या 389/2020 के दिनांक 21.07.2023 को स्वीकार होने के पश्चात पूर्ववर्ती इन्द्राजात स्वतः ही प्रभाव में आ जाते है लेकिन अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक होतमसिंह का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित नहीं किया है। अतः प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर धौलुपर के निर्णय दिनांक 27.01.2023 से पूर्व की स्थिति को राजस्व रिकार्ड में पुर्नस्थापित किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार बाडी ने दिनांक 03.06.2024 के द्वारा प्रार्थना पत्र पर अपनी रिपोर्ट/ जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.2003 के विरूद्ध किसी प्रकार की अपील विचाराधीन नहीं है।

प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा पारित आदेश तारीखी 27.01.2003 प्रकरण संख्या 274/2002 उनवानी सरकार बनाम होतमसिंह के विरूद्ध अपील प्रार्थी के भाई होतमसिंह के द्वारा न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर में मुकद्दमा संख्या 389/2020 प्रस्तुत की। न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा दिनांक 21.07.2023 को स्वीकार कर न्यायालय श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर का आदेश दिनांक 27.01.2003 निरस्त फरमा दिया और होतमसिंह के हक में हुये आवंटन दिनांक 24.10.1977 को यथावत रखा। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में किसी प्रकार कोई अपील विचाराधीन नहीं है। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा पारित आदेश अंतिम है तथा अपील की मियाद भी समाप्त हो चुकी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी का राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम दिनॉक 27.01.2003 से पूर्व की स्थिति दर्ज की जावे।

अप्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि प्रकरण में माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनॉक 21.07.2023 के विरूद्ध अपील करने की कार्यवाही की जा रही है। ऐसी स्थिति में उक्त निर्णय की कियान्विति स्थितिग रखना उचित होगा, क्योंकि इससे अनावश्यक विवाद उत्पन्न होगा।

प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनने, अप्रार्थी से प्राप्त रिपोर्ट दिनॉक 03.06.2024 एवं पत्राबली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि प्रार्थी को दिनॉक 24.10.1977 को किया गया आवंटन इस न्यायालय के निर्णय दिनॉक 27.01.2003 के द्वारा निरस्त किया गया । आदेश दिनॉक 27.01.2003 के विरूद्व अपील प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर में की गयी। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर ने अपने आदेश दिनॉक 21.07.2023 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनॉक 27.01.2003 को निरस्त कर दिया गया। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के आदेश दिनॉक 21.07.2023 के विरूद्व अप्रार्थी तहसीलदार बाडी द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की गयी है, जिसकी पुष्टि तहसीलदार बाडी से प्राप्त रिपोर्ट दिनॉक 03.06.2024 से होती है। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.07.2023 सरकार के विरूद्व पारित किया गया है जिसकी अपील सक्षम न्यायालय में किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार बाडी को आदेशित किया जाता है कि वह न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर के निर्णय दिनांक 21.07.2023 जो सरकार के विरूद्व पारित किया गया है। इस आदेश की अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में किया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार बाडी को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्राबली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 07–10–2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)